

27-9.17 ~~कमील~~ / धात्री पास की ओर नि 17
(court) केलेकार लवकार उप- / विद्याणी
सः 1 से 9 व 11 से 20 तक रफा / विद्याणी
सः 10 के आधी वरना कावपूद रूपता के
बापेर गरी डई । किने न्यायालय रूप में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

लेकिन बार अलग अलग समय में आवे
विश्वकर्मा गई। लेकिन आवकद आतकारी
के हाथों नहीं होते वह सिधायी 110
के सिद्ध करतकरमा कार्यवाही आपन
में लाई जाती है)

आली पर की कसूर सुनी गई।
वेदाने अहक कमान किया, कि विवादित
आली में दायित रक्षण का उपयोग
आपनन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग
में लिया जा रहा है। और नीचे पर
सुद्ध करी हुई है। लेकिन राज्य रिफंडि
में निजी स्वामेदारी में दर्ज है। वहीं
राज्य रिफंडि में जे. ए. राल्हा दर्ज
करमाया जावे।

इसने आली पर की कसूर पर
गमन किया और आवली के लक्षण
राज्य रिफंडि, दस्तावेजात का गमनायन
सुद्ध करमाया किया। तथा नये की
आली के पारिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया
वहीं आपने पाया, कि अलेदन में दायित
विवादित आली का रक्षण रक्षण का.ने.
निजी स्वामेदारी में दर्ज है। वहीं
आली पर उक्त लक्षण रक्षण का
आपनन के आने वाले हेतु राज्य के
आप में उपयोग में लिया जा रहा है और
नहीं सरकार सिगधरी द्वारा की उक्त रक्षण
की रक्षण जे. ए. राल्हा दर्ज करने की

सपखण्ड अधिकारी
सिगधरी

रिजिस्ट्रार की गई है कि रिजिस्ट्रार
कावण्डर जोरिख गार्डन के हाथ में नहीं
है कि इनके उचित होता है, कि
रिजिस्ट्रार को उल्लंघित करने को कि
जे. डू. राल्फा रिजे जाने में कोई आपत्ति
नहीं है यदि आपत्ति होती तो न्यायालय
में हाजिर होकर याचक को उल्लंघित
केना रिजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया गया।
इसके स्पष्ट है, कि उल्लंघित इन्फेन्स
को के पर राल्फा यम रब है। उनी इत
में न्यायालय को जे. डू. राल्फा उल्लंघित
लिजे जाने में कोई आपत्ति उचित नहीं
होती है।

रिजिस्ट्रार उनी का आवेदन लोक
भावना एवं अनहित को प्रयत्न
रखते इस स्वीकार किया जाकर
पिछले आदेश पुस्त को लिखवाया
जाकर सुनाया गया और शर्त
मिला कि जा गया

यत्रावली केमल सुजात होकर
दाखिल दखल है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

क्रमांक: /राजस्व/2017/

1274

दिनांक 27.9.17

मु.सं. 165/2017

--आदेश--

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक:प.12(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम गेहूवाली नाड़ी पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंभा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम गेहूवाली नाड़ी पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	बलवंतसिह शैतानसिह महेन्द्रसिह पि. मांगसिह धुड़ीदेवी पत्नि मांगसिह 311/621 बलवंतसिह शैतानसिह महेन्द्रसिह पि.मांगसिह धुड़ीदेवी पत्नि मांगसिह लीलाकंवर पुत्री मांगसिह 97/621 कौम राजपूत कमलाकंवर उमीकंवर पुत्रिया पन्नेसिह कौम राजपूत 193/621 चेतनप्रकाश पंचारिया वल्द रामचन्द्र 20/621 कौम बाम्हण सा.देह खातेदार। रहन-बलवंतसिह शैतानसिह महेन्द्रसिह व धुड़ीदेवी का हि.का हि.एस.बी. बी.जे.शाखा सिणधरी	194	31-01	बा.दोयम	1-12	गे.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

	पूरसिह 1/4 मोड़सिह 1/4 पि.रामसिह धीरसिह वल्द खीवसिह 1/2 कौम राजपूत सा.सिणधरी खातेदार	188/2	44-03	बा.दोयम	0-13	गे.मु.रास्ता
3	भूरसिह वल्द खीवसिह कौम राणा राजपूत सा.सिणधरी खातेदार	188/1	44-03	बा.दोयम	2-00	गे.मु.रास्ता
4	जगराम वल्द कुभाराम कौम जाट सा.सरली खातेदार	188/3	44-03	बा.दोयम	0-04	गे.मु.रास्ता
5	बगतसिह वल्द खेतसिह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	189/2	5-15	बा.दोयम	0-15	गे.मु.रास्ता
6	देराजराम पुत्र खीयाराम मानाणी कौम जाट आसू सा. सांजटा खातेदार	190/1	20-00	बा.दोयम	0-12	गे.मु.रास्ता
7	जेठूसिह वल्द रूगनाथसिह कौम राजपूत सा.सिणधरी खातेदार	190	4-00	बा.दोयम	0-06	गे.मु.रास्ता
8	पुरखाराम रामाराम पि. नानगाराम अमेदीदेवी पत्नि नानगाराम कौम जाट सा. सांजटा खातेदार	192/1	6-00	बा.दोयम	0-11	गे.मु.रास्ता

(महावीरसिंह)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

दिनांक 27.9.2017

क्रमांक: /राजस्व/2017/

1275-76

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।

2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी